(ख) राजस्थान में दहेज मामलों के कारण वर्ष 1986,1987 और 1988 (नवम्बर तक) में क्रमशः 84,113 और 102 महिलाओं की मृत्यु हुई।

इन मामलों में पकड़े गए और दोष- सिद्ध व्यक्तियों की संख्या के विषय में सूचना केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

कानून को संशोधित करने के लिए भारत सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) इस समय इस संबंध में सीधा अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्ति

270. **डा. अबरार अहमद खान:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब तथा अन्य स्थानों पर आतंकवादियों द्वारा अब तक कितने व्यक्ति मारे गये है। मृतकों के परिवारों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिनके परिवार का मुखिया मारा गया है और क्या सरकार ने सम्बद्ध परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई प्रबंध किये है; और

(ख) राजस्थान सीमा पर कितने आतंकवादी पकड़े गये हैं और उनके सीमा के अन्दर प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा आतंकवादियों द्वारा राजस्थान में अब तक कितने व्यक्ति मारे गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वन अनुरक्षण कार्य पर खर्च की गई धनराशि

271. **डा. अबरार अहमद खान:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 3 वर्षों के दौरान देश में वनों के विकास तथा वनों के अनुरक्षण पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई और वनों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के प्रयास तथा वनों के विकास और अनुरक्षण कार्य पर धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद वनों का काटा जाना जारी है और इस कार्य में वनों की रक्षा करने वाले कार्मिक भी अन्तर्गस्त हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनको क्या सजाएं दी गई; और

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्र कितना था तथा इस समय कितना क्षेत्र वनाच्छादित है और इन 3 वर्षों के दौरान राज्य में वनों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई और वनों के विकास तथा अनुरक्षण के संबंध में इस समय राज्य में चालू योजनाओ के नाम क्या-क्या हैं तथा वनों में वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वनों के विकास तथा संरक्षण पर व्यय की गई धनराशि और वनरोपण की वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वनों के संरक्षण के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं। इन उपायों से निम्नलिखित प्रभाव पड़े:-

(1) वेनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने की वार्षिक औसत दर 1980 से पूर्व 1.5 लाख हेक्टेयर थी, जो 1980-88 की अवधि के दौरान कम होकर 15,000 हेक्टेयर रह गई।

2. वनरोपण की वार्षिक दर 1985-86 में 1.45 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 1988-89 में लगभग 2 मिलियन हेक्टयर हो गयी।

(ख) 1972-75 से 1980-82 की अवधि के बीच किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि वननाशन 1.3 मिलियन हेक्टेयर की दर से हो रहा है। जब कभी अवैध रूप से वृक्ष काटने की शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ग) 1981—83 के वर्षों में राजस्थान में वन आवरण के तहत 12,478 वर्ग किमी० क्षेत्र था। उसके पश्चात् वन आवरण के विस्तार के मूल्यांकन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। गत तीन वर्षों के दौरान

राजस्थान में वन रोपण पर व्यय की गई राशि निम्नलिखित है:-

वर्ष	व्यय की गई राशि	शामिल क्षेत्र
	(करोड़ रुपयों में)	(हेक्टेयर में)
1985-86	15.46	47,900
1986-87	28.92	67,051
1987-88	27.42	58,693

केन्द्रीय सरकार की सहायता से राजस्थान में निम्नलिखित वनरोपण स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है:-

1. ग्रामीण ईंधन का लकड़ी का पौधरोपण,
2 वनवर्धन फार्म,
3. विकेन्द्रित नर्सरियां,
4 स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान,
5 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत सामाजिक वानिकी,
6 डाकू प्रभावित क्षेत्रों में घाटी भूमियों का सुधार
7. भू-संरक्षण।

इसके अतिरिक्त, राज्य में बाहर से सहायता प्राप्त एक सामाजिक वानिकी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

वन संरक्षण के लिए, जैव हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा हेतु आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण - 1

वर्ष	विकास और संरक्षण व्यय की गई राशि		परवन रोपण पर व्यय की गई राशि
	(करोड़ रुपये में)		(करोड़ रुपये में)
	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	
1985-86	241.12	40.40	378.58
1986-87	276.61	52.23	491.29
1987-88	349.35	80.11	477.46

वनरोपर पर वास्तविक उपलब्धियां:

	लक्ष्य	उपलब्धि (मिलियन हे० में)
1985-86	1.45	1.51
1986-87	1.71	1.76
1987-88	1.79	1.77

वन संरक्षण के लिए किए गए उपाय:

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1980 में वनों के संरक्षण पर और अधिक बल दिया गया है।

2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया था। 1988 में इसमें संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है।

3. वनों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों की सहायता हेतु एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम शुरू की गई है।

4. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के प्रतिस्थापन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है।

5 पैकिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

6. वन उत्पादों के लिए आयात नीति को उदार बना दिया गया है।

7 लकड़ी के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उद्योगों की वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

8. झूम खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

9. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/ शासित प्रदेशों के समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जाते हैं:-

1. प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसलों को बहाली की बहाली अथवा अन्य बागवानी दृष्टिकोणों से, इस प्रकार की कटाई अपरिहार्य हो, वहां पहाड़ों पर इसका क्षेत्र 10 हेक्टेयर और मैदानों मे 25 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

3. पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें वनों की कटाई से सुरक्षा करने और तत्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत है।

4. 4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवन मंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

Reduction of staff in NTC

272 SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Textile Corporation has been asked to reduce its staff strength in the holding company considerably; and

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) and (b) In order to facilitate decongestion in Delhi, the Office of National Textile Corporation (Holding Company) has been allowed to continue in Delhi provided the staff strength is reduced by one Hundred.

Bride burning cases

273. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that recently the number of bride burning incidents has gone up on account of dowry demands;

(b) if so, the number of cases registered in Dowry (Women) Cell of the Delhi Police during 1988;

(c) the number of those convicted;

(d) whether Government are aware that in spite of the existing Laws, police have failed to get offenders convicted; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir. There has been an increase in such cases in Delhi.

(b) Out of 71 cases of bride burning registered in Delhi, 15 cases were taken up for investigation by the Dowry (Women) Cell. Out of those, 10 cases have been challaned in court.

(c) Nil.

(d) and (e) Yes, Sir. Cases challaned since the coming into force of the new, and stringent laws in this regard, have not yet reached the stage for orders by the concerned Courts.

Irrigation projects from Andhra Pradesh pending clearance

274. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether any prograss has been made and speedy steps are taken in giving clearance in respect of irrigation projects in Andhra Pradesh pending with the Centre; and

(b) if so, the names of such projects in the State and the time by which these projects are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI):(a) and (b) out of the five major and six medium irrigation projects received from the State Government, comments on four major and three medium projects have been sent to the State Government. Replies to observations of Central appraising agencies on two medium projects have been recently received in February, 1989. One medium project, namely, Yorravagu project has been received in January,1989.